उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या /2022/16(120)/XXVII(8)/2021/ CT-37

देहरादूनः: दिनांकः: 22 मार्च, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होंगे।

नियम 97 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहॉ आगे मूल नियम कहा गया है) में, नियम 97 में–

(क) उपनियम (3) में, ''केन्द्रीय'' शब्द के स्थान पर, ''राज्य'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उपनियम (7क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात–

''(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिये, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50 प्रतिशत कमिश्नर को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस लाख रूपये से कम नहीं है।'';

(ग) उपनियम 8 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ङ) में, ''केंद्रीय'' शब्द के स्थान पर ''राज्य'' शब्द रखे जाएंगे।

प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03 का संशोधन

3. मूल नियम में, प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03 में, –

(क) शीर्ष में, ''या विवरण'' शब्दों के पश्चात, ''या प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना'' शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3) में, "लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्दों

के स्थान पर, "लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर–1 और प्ररुप जीएसटीआर–3ख), मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर–2ख और प्ररुप जीएसटीआर–3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, ''यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर'' शब्द और अंको के पश्चात्, ''संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)'', शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः–

''क्र. सं	कर अवधि	अधिनियम	प्रदत्त का स्थान (पीओएस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद / प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												।'' ।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

संं0 221 / 2022 / 16(120) / XXVII(8) / 2021 / CT-37 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.221 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/ 2021/ CT-37 dated 22, March, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.221 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/2021/CT-37
Dehradun : Dated: 22, March, 2022

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2022

Short title and 1. commencement	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2022. **(2)** Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 01st December, 2021.
Amendment of 2. Rule 97	In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017(herein after referred to as the principal rules), in rule 97- **(a)** in subrule (3), for the word "Central", the word "State" shall be substituted; **(b)** for subrule (7A), with effect from the 1st July, 2017, the following sub-rule shall be substituted, namely- "(7A) The Committee shall make available to the Commissioner 50 percent of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five lakh rupees per annum."; **(c)** in sub-rule (8), in the Explanation, in clause (e), for the word "Central", the word "State" shall be substituted.
Amendment of 3. FORM GST DRC-03	In the principal rules, in **FORM GST DRC-03, —**

(a) in the heading, after the words "or statement", the words, letters and figures "or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A" shall be inserted;

(b) against item 3, in column (3), for the word and letters "Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)", the words, letters, figures and brackets "Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, Mismatch (Form GSTR-1 and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)" shall be substituted;

(c) against item 5, in column (1), after the word and figures "within 30 days of its issue", the words, letters, figures and brackets ", scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC01A, audit, inspection or investigation, others (specify)" shall be inserted;

(d) for the table, under serial number 7, the following table shall be substituted, namely:-

"Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	Ledger utilised (Cash/ Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												".

(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary